श्रीमान जी,

2022/20

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः–पंजी / 11 / 2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है।

प्रार्थी भंवर लाल पुत्र लालचन्द जाति नायक निवासी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल रसीद, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरी बुआ मोहनी पुत्री रूपाराम पत्नी सोनाराम निवासी 1डी बडी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 23.05.2011 को एक बंद वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 04.11.2021 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 23.05.2011 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।**प्रार्थी द्वारा वारिसनामा नहीं पेश किया गया है बल्कि शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।**

प्रार्थी को गवाहान मोहन लाल पुत्र कालूराम एवं सुलताना पुत्र बिशनाराम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रजनीश चौहान ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

पत्रावली अवलोकनार्थ / आदेशार्थ प्रस्तुत है।

28/11/22

जिला पंजीयक महोदय